

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, उच्चैन (भरतपुर)

वालमुकन्द आदि बनाम वनयसिंह वगै०

किरम मुकदमा प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. नं० 25.....सन् 2025

हुकम तारीख	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये
04.06.2025	<p>प्रार्थी/प्रार्थीगण के अभि० ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. के तहत पेश किया है। प्रकरण दर्ज रजि० हो।</p> <p>प्रार्थी/प्रार्थीगण के अभि० को सुना गया। वक्त दौराने सुनवाई प्रार्थी/प्रार्थीगण के अभि० ने अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया है। प्रार्थी/प्रार्थीगण के अभि० के तर्कों पर मनन किया गया प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी/प्रार्थीगण के हक में होना प्रतीत होता है।</p> <p>अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी तक इस अग्र की जारी कर पावन्द किया जाता है कि वो विवादित आराजी खसरा नम्बर 202/0.01, 203/0.73 हे० बाके ग्राम नगला पीतू तहसील उच्चैन में रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। यदि इस आज्ञा बावत् कोई उज्र हो तो नियत दिनांक 02.07.2025 को न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर पेश करें। आदेश 39 नियम 3(ए)(1)(2)(3) व 3(ब) की पालना प्रार्थी द्वारा की जावे। अप्रार्थी/अप्रार्थीगण की तलवी हेतू 7 दिवस के अन्दर रजिस्टर्ड तलवाना पेश करें अन्यथा जारीशुदा अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः ही निरस्त समझी जावेगी। अप्रार्थी/अप्रार्थीगण की तलवी जरिये रजिस्टर्ड नोटिस की जावे। पत्रावली दिनांक 02.07.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><i>S. Bhatnagar</i> उपखण्ड अधिकारी, उच्चैन (भरतपुर)</p>	
02/07/2025	<p>पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसर दिनांक 06/08/2025 को पेश हो।</p>	
29/7/25	<p>पत्रावली पेश हुई प्रार्थीगण/प्रार्थीगण के नामकी पत्र पत्र पर। वादीगण के हक पत्र पर रजिस्टर्ड हुये। उक्त प्रकरण को जिम्मेदार</p>	<p>मानसुख B. Bhatnagar B. Bhatnagar</p>

हुकम तारीख

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

बालमुकुन्द आदि बनाम अनपसिंह चर्गे

नम्बर व तारीख
अहकाम जो
हुकम की तारीख
जारी हुय

प्राण बाकर के विरुद्ध की 2100
मिसल है वाडीगल की हुका गच
वाडी के प्राण पत्र पर उक्त प्रकार
की विद्वे किसे प्राण की हाउरकी
की प्राण है पचावकी विरुद्ध मुका
है मन्बर के कर होकर अधिक
उपलद हो

Shankh

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैत (भारतपुर)